

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1922/2024 / दिनांक :
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकित्सालय,
टोंक।

विषय: डॉ० राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।
संदर्भ: निदेशालय के पत्रांक 582 दिनांक 21.07.2020, 485 दिनांक 08.09.2020, 910 दिनांक 11.08.2023, 523 दिनांक 20.10.2023, 588 दिनांक 06.12.2023 एवं 17 दिनांक 12.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों द्वारा डॉ० राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव चाहे गये थे, जो प्राप्त होना अपेक्षित है।

अतः माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के निर्देशानुसार डॉ० राकेश कुमार महला, चिकित्सा अधिकारी स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव विशेष वाहक के साथ 03 दिवस में निदेशालय को अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही की जा सकें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1922/2024 / 201

दिनांक : 21/05/2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय टोंक द्वारा आज दिनांक तक चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाने के उत्तदायी होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध कार्मिक विभाग के नवीनतम पत्रादि अनुसार सीसीए नियमों के अन्तर्गत आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र, परिशिष्ट अ,ब,स,द व अभिलेख सूची एक-एक प्रति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब 3 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सीबी अनुभाग, मुख्यालय को अग्रीम कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

Signature valid

RajKaj Ref
7273884



Digitally signed by Rajv Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.05.17 17:06:31 IST
Reason: Approved